अपर मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कांफ्रेंस दिनांक 16.06.2016 के कार्रवाही बिन्दु–

1. स्वच्छ भारत मिशन के तहत 'एक घर–एक शौचालय' के सिद्धांत के आधार पर डाटा बेस में संशोधन किया जाए।

2. राज्य कार्यक्रम अधिकारी विभिन्न जिलों के लिए निर्धारित शौचालयों की स्वीकृति की अधिकतम सीमा में आवश्यकतानुसार परस्पर तब्दीली कर सकते हैं। राज्य स्तरीय लक्ष्य को यथावत रखा जावे।

3. ग्राम पंचायत को ओ.डी.एफ. घोषित करना शौचालय निर्माण की पूर्णता पर आधारित नहीं होकर खुले में शौच पूर्णतः बन्द होने पर आधारित है। आदत एवं सामाजिक आचरण में परिवर्तन को प्राथमिकता दी जाए। जब तक खुले में शौच पूर्णतः बन्द नहीं हो, ओ.डी. एफ. घोषित करना उचित नहीं है। ओ.डी.एफ. घोषित करने में 2–3 माह देर हो तो ठीक है लेकिन उद्देश्य के साथ समझौता स्वीकार्य नहीं होना चाहिए।

4. जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के वर्ष 2016–17 के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के लिए 50 प्रतिशत भार स्वच्छ भारत मिशन एवं 25 प्रतिशत आवास योजनाओं की प्रगति पर नियत होगा।

5. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए प्रत्येक गुरूवार को वीडियो कांफ्रेंस का समय आवंटित है। विकास आयुक्त स्वयं हर दूसरे (alternate) गुरूवार को स्वच्छ भारत मिशन एवं आवास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

6. रीवा जिले में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत मैपिंग संबंधी समस्या का निराकरण राज्य कार्यक्रम अधिकारी दिनांक 30.06.2016 तक कराएं।

7. जो 18 जिले इस वर्ष ओ.डी.एफ. हेतु चिन्हित हैं उनके ग्रामों के लिए solid waste disposal की कार्ययोजना 31 जुलाई 16 तक बनाई जाए एवं स्वीकृति 31.08. 2016 तक दी जाए।

8. स्वच्छ भारत मिशन में प्रशिक्षण की सफलता परिणाम के आधार पर मानी जाए। प्रेरकों को लक्ष्य देने की बजाय प्रेरणा का स्तर ऐसा होना चाहिए कि प्रेरक स्वप्रेरणा से उनका लक्ष्य तय करे।

9. विकास आयुक्त द्वारा मुख्यालय से भेजे गए अधिकारियों द्वारा विभिन्न जिलों में पाई गई स्थिति के भ्रमण प्रतिवेदन संबंधित जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आगामी कार्यवाही हेतु भेजे जाएं।

10. महात्मागांधी नरेगा के अंतर्गत अधिनियम में निर्धारित समयावधि में मजदूरी का भुगतान नहीं होने की स्थिति में delay compensation के लिए संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिम्मेदार होंगे। Delay compensation की स्वीकृत राशि उनसे वसूली जावेगी और उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

11. मजदूरी भुगतान में विलंब के लिए जिम्मेदार रोजगार सहायक/अभियंता/सहायक लेखाधिकारी/जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावे। रोजगार सहायक/अभियंता/सहायक लेखाधिकारी यदि विलंब करे तो उन्हें सुनवाई का अवसर देते हुए उनकी संविदा नियुक्ति समाप्त की जाना चाहिए।

12. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वाटरशेड परियोजनाओं को छोड़कर, percolation tank नहीं बनाये जावें।

13. प्रत्येक जनपद पंचायत में आगामी एक सप्ताह में न्यूनतम 10 ऐसे तालाब चिन्हित किए जावें जिनमें desilting किया जा सकता है। डी–सिल्टिंग की मात्रा कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा नियत करे और निकलने वाली मिट्टी/सीएनएस की अनुमानित मात्रा की जानकारी आरआरडीए, लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्रियों को दी जावे ताकि वे निर्माण एजेंसियों को आवश्यक मिट्टी/सीएनएस प्रदाय कराने के लिए निःशुल्क डी–सिल्टिंग करा सकें। इस प्रक्रिया से जिन तालाबों का गहरीकरण होगा उनमें proper re-sectioning मात्र के लिए तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति नरेगा से दी जावे।

14. उपरोक्त बिंदु के तहत प्रथम सप्ताह का लक्ष्य 10 जलाशयों का चयन करना है। आगामी 2 माह में सभी जलाशय जिनमें डी–सिल्टिंग उचित है के लिए तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक तालाब बनाने के लिए उपरोक्त प्रक्रिया से तैयारी की जाए।

15. महात्मा गांधी नरेगा के तहत सामग्री प्रदायकर्ता का पंजीयन टिन नंबर के आधार पर किया जावे। पंजीयन के लिए किसी भी प्रकार के सत्यापन की कार्यवाही आवश्यक नहीं है। पंजीयन www.nregs-mp.org पर भी किया जा सकता है। पंजीयन का आवेदन जिला पंचायत के UTTARA खाते में प्रदर्शित होगा।

16. अपंजीकृत सामग्री प्रदायकर्ताओं की सूची जिलों को भेजी गई है। इनका पंजीयन अगले 10 दिवस में कराया जाए। दि. 30.06.2016 की वीडियो कांफ्रेंस में समीक्षा की जाएगी।

17. ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के दौरान जल संग्रहण/संरक्षण संरचनाओं के मरम्मत/जीर्णोद्धार/सुदृढीकरण के लिए जिन प्रकरणों में कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

विभाग एवं कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ने संयुक्त परीक्षण कर अनुमोदन किया है, उनमें तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जावे। इस हेतु अधिकार निम्नानुसार होंगेः–

वित्तीय सीमा रू.	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति
50 हजार तक	सहायक यंत्री	कलेक्टर
10 लाख तक	कार्यपालन यंत्री	कलेक्टर
10 लाख से अधिक	अधीक्षण यंत्री	विकास आयुक्त

18. उपरोक्त बिंदु में दर्शाए मरम्मत/जीर्णोद्धार/सुदृढीकरण के लिए धनराशि की व्यवस्था निम्नानुसार की जावेः–

अ. रूपये 50,000 तक के कार्य ग्राम पंचायत को प्रदाय 14वें वित्त आयोग की राशि से।

ब. रूपये 50,000 से अधिक के कार्य महात्मा गांधी नरेगा से।

(विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

16/6/16.

(रघुराज राजेन्द्रन)
आयुक्त, MPSEGC